

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक:

संख्या-5/स० अधिसूचना (बिहार राज्य चीनी निगम)-06/2020...1413 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 औद्योगिक क्षेत्रों के सुनियोजित विकास एवं उद्योगों को बढ़ावा देने तथा इससे सम्बद्ध विषयों पर उपबंध करने हेतु वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में 52 औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र/वृहत औद्योगिक प्रांगण हैं।

इस अधिनियम की धारा 2(घ) में औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत है कि, "ऐसा कोई क्षेत्र, जिसके लिए धारा 3 के अधीन कोई प्राधिकार गठित किया गया हो" तथा धारा "4क औद्योगिक क्षेत्र- (1) औद्योगिक क्षेत्र में कतिपय एक या एक से अधिक निम्नलिखित भूमि अंतर्विष्ट होंगी:-
(i) राज्य सरकार द्वारा अर्जित तथा इस अधिनियम की धारा-9 के अधीन प्राधिकार को अंतरित सभी भूमि।"

उक्त के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक-01/रेगु-6-6004/2012-पार्ट-221/पटना दिनांक 11.02.2020 द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम की आठ इकाईयों यथा लोहट, हथुआ (डिस्टीलरी), बनमनखी, वारसलीगंज, गोरौल, गुरारू, न्यू सिवान एवं सिवान तथा उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैंड कुल 2442.41 एकड़ को उद्योग स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18.12.2019 की बैठक में मद सं०-23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

अतः बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2(घ), धारा 4(क)(i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा गन्ना उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक-01/रेगु-6-6004/2012-पार्ट-221/पटना दिनांक 11.02.2020 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम से हस्तांतरित निम्नांकित क्षेत्रों को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की जाती है:-

क्रम संख्या	बियाडा, क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिहार राज्य चीनी निगम की इकाईयों का नाम	इकाई की कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1.	पटना	नवादा	वारसलीगंज	73.58
2.	पटना	गया	गुरारू	27.36
3.	पटना	बिहटा	बिहटा (फार्म लैंड)	789.92
4.	पटना	बक्सर	नवानगर (फार्म लैंड)	
5.	मुजफ्फरपुर	पूर्वी चम्पारण	सुगौली (फार्म लैंड)	55.03
6.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर (फार्म लैंड)	897.40
7.	मुजफ्फरपुर	गोपालगंज	हथुआ (डिस्टीलरी सहित)	105.29
8.	मुजफ्फरपुर	वैशाली	गोरौल	54.41

9.	मुजफ्फरपुर	सिवान	न्यू सिवान	28.30
10.	मुजफ्फरपुर	सिवान	सिवान	32.58
11.	दरभंगा	मधुबनी	लोहट	213.00
12.	दरभंगा	मधुबनी	सकरी (फार्म लेण्ड)	48.99
13.	भागलपुर	पूर्णिमा	बनमंखी	118.55
कुल:-				2442.41

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 1413

पटना, दिनांक- 26.5.2020

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 1413

पटना, दिनांक- 26.5.2020

प्रतिलिपि:- 1. महालेखाकार, बिहार, पटना

2. मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 1413

पटना, दिनांक- 26.5.2020

प्रतिलिपि:-

प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/निदेशक, उद्योग निदेशालय/खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/मा0 मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग के कोषांग, बिहार, पटना /आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

सरकार के अपर सचिव